तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** **सू.अ.अ. अपील संख्या 99/2023**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-04-23	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.01..2023 में (1) अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर के पत्र क्रमांक/प.1/शि.जांच/(120/22) स्था / 2022 /9391 दिनांक 27.10.2022 की पालना में दिनांक 01.11.2022 से 24. 01.23 तक की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की मय ऑर्डरशीट सहित प्रमाणित प्रति , से संबंधित सूचना लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 394 दिनांक 05.04.2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 199 दिनांक 17.02..23 द्वारा कुल 10 पृष्ठों की सूचना प्राप्त करने हेतु राशि रूपये 20/– इस कार्याल्य में जमा कराने हेतु लिखा गया, परन्तु वांछित राशि अभी तक इस कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई तथा राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा निर्धारित सूचना शुल्क जमा नहीं करवाया गया है अतः प्रार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने को गंभीर है तो 15 दिवस में निर्धारित सूचना शुल्क राशि जमा करा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	